मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्याः 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283

email- csup@nic.in

अति महत्वपूर्ण

संख्याः 249 / पीएसएमएस / 2020

दिनाँक : 04 अप्रैल, 2020

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक

कोविड–19 की उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में कृपया निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:–

1– समस्त शासकीय / गैर शासकीय अधिकारियों / कर्मियों एवं जनसामान्य को प्रेरित किया जाए कि वे जब घर से बाहर निकलें, अपना नाक व मुँह मास्क से अथवा मास्क उपलब्ध न होने पर तौलिया, अगौंछा / दुपट्टे से ढक लें। ढकने वाले कपड़े को प्रतिदिन साबुन से धोया जाए।

2– समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी / निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों, समस्त शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों / कर्मियों के वेतन / मानदेय का भुगतान दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक सुनिश्चित कर लिया जाए। लॉकडाउन अवधि का भी पूर्ण वेतन / मानदेय देय होगा। चिकित्सालयों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी इसे स्वयं सुनिश्चित कर लेंगे।

3– प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में कम्यूनिटी किचन अवश्य चालू रहें, जिनमें दोनों समय भोजन देने की व्यवस्था हो। किसी भी व्यक्ति को भोजन, खाद्यान्न एवं दवाओं आदि की आवश्यकता होने की स्थिति में इसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

4– भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर दिया जाना है, उसके वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

...2..

5— कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से कियाशील रहें तथा इसके लिए निर्धारित टेलीफोन नम्बरों पर 24X7 काल रिसीव करने एवं उनका उत्तर देने की व्यवस्था हो।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

04.04.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्याः / पीएसएमएस / 2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1— कृषि उत्पादन आयुक्त / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
2— समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचित को इस आशय से कि कृपया वे अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
3— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।
4— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव